File No.76-1099/213/2022-1-

1/22968/2022

35

महत्वपूर्ण

संख्या- 61 /2022/ 3393 /छिहत्तर-1-2022-21सम/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ:दिनॉक 03 अक्टूबर, 2022

विषय-सीवर लाइन / पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु काटी गयी सडकों की पुर्नस्थापना /मरम्मत के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को नल से जल प्रदान किये जाने का लक्ष्य वर्ष 2024 तक पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। तत्क्रम में लोक निर्माण विभाग की स्वामित्व की सडकों की रोड कटिंग एवं काटी गयी सडकों के मरम्मत के संबंध में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-49/2022/2949/छिहत्तर-1-2022 दिनांक 10 सितम्बर, 2022 तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-283/2022/सा0 2801/23-1-22-69सा0/20 टी0सी0 2 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 निर्गत किया गया है।

2- प्रश्नगत मामले में सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 2022 एवं 14 सितम्बर, 2022 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल /सीवर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग की काटी गयी सडकों की पुर्नस्थापना /मरम्मत का कार्य नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कराये जाने के क्रम में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय :-

(i) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पाइप लाइन / सीवर लाइन बिछाने हेतु काटी जाने वाली सडकों के विषय में लोक निर्माण विभाग को संसूचित किया जायेगा।

(ii) लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सडकों के अन्तर्गत पाइप पेयजल लाइन/सीवर लाइन डालने हेतु काटी गई सडकों का पूर्व निर्मित सड़क की स्थिति तक पुनर्स्थापना / मरम्मत का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सम्बन्धित वेंडर के माध्यम से कराया जायेगा।

(iii) सीवर/पेयजल हेतु बिछायी जा रही पाइप लाइन के लिये काटी जाने वाली सडक के पहले तथा पुर्नस्थापना / मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं ससमय सम्पन्न होने के बाद फोटोग्राफ / वीडियोग्राफी (जी0पी0एस0 लोकेशन के साथ) करायी जायेगी, जिसे जल जीवन मिशन के पोर्टल पर अपलोड करते हुये लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को भी भेजा जायेगा।

(iv) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सम्बन्धित वेण्डर के माध्यम से काटी गई सडकों को पूर्व की स्थिति में लाने के लिये तत्काल पुनर्निमाण / मरम्मत कराने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी, जिससे कि आम जन-जीवन प्रभावित न हो।

(v) सीवर/पेयजल हेतु काटी गयी लोक निर्माण विभाग की सडकों के पुर्ननिर्माण की कार्यवाही तभी पूर्ण मानी जायेगी, जबकि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता संतुष्ट हो लेंगे।

2- कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 01-10-2022 18:09:05
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्याः61/2022 /3393(1)/छिहत्तर-1-2022, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

3.10.2022

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव